

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 3126 / 2-6 दिनांक, देवरिया, जून 10 2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 3466/11-सी- दिनांक 07.06.2022 ।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या-1554/2-6, दिनांक 28.12.2021 द्वारा संलग्नक एवं सी0डी0 सहित आपको प्रेषित की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र एवं संलग्नकों की छाया प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रस्ताव को स्वीकृति कराने हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1554 / 2-6 दिनांक, देवरिया, दिसम्बर 28 2021
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 कि0मी0 153-154 के मध्य
ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील सदर जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड
द्वारा पेट्रोल11 पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का
बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय के पत्र सं0-1186/2-6 दिनांक 03.11.2021 एवं मुख्य वन
संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग-उ0प्र0 लखनऊ
के पत्र सं0-1377/11सी-FP/UP/Other/16134/2015 दिनांक 27.10.2021 ।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण
/ अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	भारत सरकार की आपत्ति के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा संशोधित प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल के Geo Referenced Digital Map एवं KML File स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का Geo Referenced Digital Map एवं के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की गयी है जो कि गलत है अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल की संशोधित Geo Referenced Digital Map जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित हो एवं के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 तीन प्रतियों में संलग्न करते हुए आन लाइन भाग-1 में से पूर्व का डिलिट कर यथास्थान पर संशोधित Geo Referenced Digital Map एवं KML File अपलोड करें।	आपत्ति के निराकरण हेतु प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का संशोधित Geo Referenced Digital Map तैयार कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर के0एम0एल0फाईल व सी0डी0 तीन प्रतियों संलग्न कर प्रेषित है तथा भाग-1 में आन लाइन अपलोड कर दिया गया है एवं पूर्व का आन लाइन भाग-1 में अपलोड Geo Referenced Digital Map डिलिट कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(बी0के0पाण्डेय)

प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1554 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग उ0प्र0,
लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(बी0के0पाण्डेय)

प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

